28.6.17

उक्त प्रकरण में आज सायंकाल
अदालत में आवेदक एवं कोई
हाजिर नहीं पेश हुए। वकील पक्षकारान
और वकील पक्षकारान की [illegible]
[illegible] बारम बुनी
गई। पत्रावली का परिशीलन किया
गया। विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखाया जाकर बाद
रद्दबादर हो। मिसल किया जावे।
पत्रावली [illegible] कुमार [illegible]
बाद मालूम रखकर थे।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

Scanned by CamScanner